

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या - 05/2023-24

क्रमांक : एफ 7 (5) भर्ती / Lib.-PTI./College Edu./RPSC/EP-I/2023-24/ 124

दिनांक : 11.09.2023


आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2023-24 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के क्रम में आदिनांक तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है :-

क्र.सं.	पदनाम	विभाग का नाम	विज्ञापन संख्या व जारी होने की दिनांक	पदों की संख्या
1	सहायक आचार्य	कॉलेज शिक्षा विभाग	01/2023-24 दिनांक 22.06.2023	1913
2	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	कार्मिक (क-4/2) विभाग	02/2023-24 दिनांक 28.06.2023	905
3	कनिष्ठ विधि अधिकारी	विधि एवं विधिक कार्य विभाग	03/2023-24 दिनांक 05.07.2023	140
4	खोज एवं उत्खनन अधिकारी तथा संग्रहाध्यक्ष	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	04/2023-24 दिनांक 21.07.2023	10
5	सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	भू-जल विभाग	05/2023-24 दिनांक 18.08.2023	12

अतः आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित विशेष निर्देशों को उपर्युक्त सभी पाँचों विज्ञापनों में अंकित भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाता है :-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

उक्त विशेष निर्देश उपर्युक्त सभी विज्ञापनों का ही एक भाग माना जाएगा।


11/9/2023
(रामनिवास मेहता)
सचिव